

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल


पृ0क0 जी.बी. 5/(09) 17/ 2367A

भोपाल दिनांक 10-11-17

// संशोधन //

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की नीलामी की सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0 भोपाल का वाहन क्रमांक एम.पी. 02-0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है, वाहन जिस हालत में है उसी हालत में विक्रय हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदायें दिनांक 29.11.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी एवं दिनांक 30.11.2017 को अपराह्न 3.00 बजे नीलामी प्रारंभ की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी नीलामी की शर्तें एवं वाहन के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म0प्र0 भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।



उप नियंत्रक,

वास्ते नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल

कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री
भोपाल

क्रमांक जी0बी05(09)2017/2366

भोपाल दिनांक 12/11/17

शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल द्वारा घोषित अनुपयोगी वाहन क्रमांक.एम.पी02-0786 इंडिकाकार. की नीलामी की जाना है नीलामी की शर्त निम्नानुसार है :-

1- नीलामी के दिन बोली बोलने वाले इच्छुक व्यक्ति को राष्ट्रीय बैंक से जारी एफ.डी.आर.के रूप में रु. 5000/- धरोहर के रूप कैशियर के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । जो नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल के नाम से देय होगी । जो व्यक्ति एफ डी आर के रूप में राशि जमा करना वही अनुपयोगी वाहन की नीलामी में भाग ले सकेगा । डी.डी.या चैक मान्य नहीं किया जायेगा । एफ.डी.आर के जमा न करने की स्थिति में निविदाकार नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा ।

2- जिस व्यक्ति की अधिकतम निविदा की राशि स्वीकार होगी उसे उसी दिनांक को अन्तिम बोली में स्वीकार राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा करना होगी । शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा । 90 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर ही अनुपयोगी वाहन को उठाने की अनुमति दी जावेगी । यदि 10 प्रतिशत राशि उसी दिनांक को जमा नहीं की जायेगी जो उसकी धरोहर की राशि को राजसात कर लिया जायेगा । स्वीकृत बोली का अन्तिम निर्णय समिति का होगा किसी भी प्रकार के विवाद के लिये नियंत्रक का निर्णय अन्तिम मान्य होगा ।

3 - नीलाम की गई वाहन को 15 दिन के अन्दर शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से उठाना अनिवार्य होगा । यह अवधि समाप्त होने पर भी वाहन न उठाने की स्थिति में नीलाम की कुल राशि की 1.5 प्रतिशत राशि प्रति दिवस के हिसाब से गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगी ।

4- नीलाम में अनुपयोगी वाहन का उचित मूल्य न मिलने पर समिति के अधिकारियों को बिना कारण बताये नीलामी की बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

5- धरोहर राशि को दो सप्ताह के भीतर उन निविदाकारों की वापस कर दी जावेगी जिसकी बोली अन्तिम नहीं होगी ।

6- नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति जो इस वाहन को नीलामी तिथि से पूर्व देखना चाहे वे किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में उपस्थित होकर उप नियंत्रक से अनुमति प्राप्त कर वाहन को देख सकते हैं ।




7- सफल बोलीकर्ता को अनुपयोगी वाहन को शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल से उठाना होगा । इसमें लोडिंग तथा अनलोडिंग के संबंध में कोई अतिरिक्त व्यय स्वीकार नहीं होगा ।

8- वाहन जैसी है जहां है उसी हालत में सफल निविदाकार को उठाना होगा ।

9- किसी भी प्रकार की अन्य शर्तें मान्य नहीं होगी । विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय प्रमुख सचिव राजस्व भोपाल का होगा ।

11- नीलामी का स्थान - नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल
नीलामी दिनांक 30-11-17. समय 3.00 बजे ।

(नियंत्रक द्वारा नस्ती पर अनुमोदित)


नियंत्रक

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

म0प्र0भोपाल

8-11-17